(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(University Grant Commission–UGC)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) की शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय और स्तर-निर्धारण का कार्य संघीय सूची में शामिल है, इसलिये यह केन्द्र सरकार का दायित्व है। यह दायित्व मुख्यतया **'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'** के माध्यम से निभाया जाता है।

भारत सरकार ने सन् 1945 में **सार्जेंट रिपोर्ट** के सुझावों के आधार पर एक **'विश्वविद्यालय अनुदान समिति'** का गठन किया। **राधाकृष्णन आयोग** ने सन् 1948 में सार्वजनिक धन विश्वविद्यालयों को अनुदान रूप में देने की सिफारिश की। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पर जोर दिया गया। सरकार द्वारा 1948 में नियुक्त **'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग'** के सुझावों के अनुसार (सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु) 1953 में **'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'** (U.G.C.) की स्थापना की गई। 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतंत्र संस्था (स्वायत्ततापूर्ण परिनियत पद—Autonomous Statutory Status) स्वीकार कर लिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 'उच्च शिक्षा भारतीय परिषद्' के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के अतिरिक्त 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के 9 सदस्य होंगे। इसमें से 3 विश्वविद्यालयों के उप कुलपति, 4 प्रसिद्ध भारतीय शिक्षा-मर्मज्ञ एवं 2 केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इस आयोग में ऐसे व्यक्ति सदस्य के रूप में रखे जाते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय न केवल प्रशासन और आर्थिक समस्याओं का ज्ञान होता है वरन् विश्वविद्यालय से सम्बन्धित प्रत्येक क्षेत्र का अच्छा अनुभव होता है। लेकिन इस आयोग के सदस्य न तो सरकारी और न विश्वविद्यालयों के अधिकारी हो सकते हैं।

आयोग के प्रथम अध्यक्ष डॉ० सी०डी० देशमुख थे। बाद में डॉ० दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष रहे जो **'शिक्षा आयोग'/कोठारी आयोग (1964-66)** के भी अध्यक्ष थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा-12 के अधीन 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के कार्य इस प्रकार बताए गए हैं—

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का यह साधारण कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालयों और अन्य सम्बन्धित संस्थाओं की राय से विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन और समन्वय के लिए तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा परीक्षा एवं अनुसंधान के स्तरों के निर्धारण और अनुरक्षण के लिए यह ऐसे सब काम करे जो इसे समुचित लगें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, राज्यों के विश्वविद्यालयों को अनुदान देने हेतु अधिकार प्रदान किया जाए—

Scanned by TapScanner

(1) विश्वविद्यालय के विकास हेतु नॉन-प्लान अनुदान।

(2) स्वीकृत खर्च हेतु अनुदान।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रों को प्रदत्त धन पर विकासात्मक कार्यों हेतु मैचिंग ग्राण्ट।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य (Functions of University Grant Commission)

'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा उच्च शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) विश्वविद्यालय-शिक्षा में सुधार करने और शिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विश्वविद्यालयों को परामर्श देना।

(2) भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर में समन्वय रखने और विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर एक विशेषज्ञ-संस्था के रूप में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(3) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध कॉलेजों की आर्थिक आवश्यकताओं की जाँच करना और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको सहायता-अनुदान में दिए जाने वाले धन के सम्बन्ध में सुझाव देना।

(4) विश्वविद्यालयों को अपने कोष में से दिए जाने वाले धन को वितरण करना और इस सम्बन्ध में अपनी नीति-निर्धारित करना।

(5) नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों को परामर्श देना तथा पुराने विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र की वृद्धि पर पूछे जाने पर अपना मत व्यक्त करना।

(6) केन्द्रीय सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना और उनकी शंकाओं का समाधान एवं विचार करना।

(7) विश्वविद्यालयों द्वारा विविध सेवाओं के लिए प्रदान की गई उपाधियों (डिग्रियों) के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार एवं राज्य-सरकारों को अपनी सम्मति देना।

(8) विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सूचनाओं को भारत तथा विदेशों से एकत्र करके विश्वविद्यालयों को प्रेषित करना।

(9) विश्वविद्यालयों से उनकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, शोध-कार्यों आदि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना तथा सम्बन्धित मानकों (Norms) को निर्धारित करना और उन्हें बनाए रखना।

(10) विश्वविद्यालय-शिक्षा के विस्तार, प्रगति एवं विकास से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करना तथा यथासमय भारत सरकार को परामर्श देना।

(11) विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान के उचित व्यय की देख-रेख करना जिससे उसका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(12) विश्वविद्यालयों का संचालन देश के हित में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो।

(13) नवीन योजनाओं की धन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए यही आयोग अनुदान की व्यवस्था करता है तथा विकास योजनाओं को व्यावहारिक रूप देता है।

(14) उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, विशेष रूप से विज्ञान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का आयोजन करना।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य (Main Functions)

U.G.C. के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं—

Scanned by TapScanner

(1) विश्वविद्यालय को अनुदान देने से सम्बन्धित आवश्यकताओं की जाँच करता है तथा अनुदान प्रदान करता है।
(2) विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए प्रशासन को सुझाव देता है।
(3) शिक्षा के स्तरों को उच्च बनाए रखने (निश्चित करना व समन्वय करना) के लिए योजनाएँ बनाता है।
(4) प्रशासन के द्वारा दिए गए धन का विभिन्न विश्वविद्यालयों में वितरण करता है।
(5) योजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को सुझाव देता है।
(6) उच्च शिक्षा के विकास और सहयोग में केन्द्रीय भूमिका निभाता है।

'राधाकृष्णन् आयोग' ने **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** के निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया है—
(1) विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के विकास हेतु परामर्श प्रदान करना।
(2) आवश्यकता अनुभूत होने पर नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए परामर्श प्रदान करना।
(3) केन्द्र को उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देना।
(4) अनुदान वितरण की समुचित व्यवस्था करना।
(5) विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना।
(6) सरकार एवं विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करना।
(7) विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
(8) विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति की जाँच करना।
(9) विश्वविद्यालयों एवं सरकार की जिज्ञासाओं की खोज करना।
(10) उच्च शिक्षा के विकास के लिए कतिपय अन्य कार्य करना।

'कोठारी आयोग' द्वारा **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** के निम्नलिखित कार्य बतलाए गए हैं—
(1) समूची उच्च शिक्षा को एक इकाई माना जाए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका संचालन करे।
(2) चिकित्सा, इंजीनियरिंग एवं कृषि की शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समान समितियों का निर्माण किया जाए।
(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 12 से 15 तक सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, जिनमें से $^{1}/_{3}$ सदस्य सरकार के उच्च कर्मचारी होने चाहिएं।
(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने कार्य को सुचारु रूप से करने हेतु स्थायी समितियों का गठन किया जाना चाहिए।
(5) राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समुचित मात्रा में धन प्राप्त होना चाहिए।
(7) अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।
(8) उच्च शिक्षा में समन्वय एवं उन्नति हेतु सार्थक सुझाव प्रस्तुत करने चाहिएँ।

Scanned by TapScanner